

(भारत के असाधारण राजपत्र के भाग -II, खण्ड - 3, उप खण्ड (1), में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)


नई दिल्ली, दिनांक : 5 मई, 2011

अधिसूचना

सा.का.नि. (अ) अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों के परामर्श से, अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) नियमावली, 1968 में संशोधन करने हेतु एतद्वारा निम्नलिखित अगले नियम बनाती है, अर्थात्,-

- (1) ये नियम अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) संशोधन नियमावली, 2011 के नाम से जाने जाएं ।
(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि को लागू होंगे ।
- अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) नियमावली, 1968 में, नियम 16 में ,-
(क) उप नियम 4 में, वर्ण और अंक "रूप 15000/-" के लिए शब्द "सेवा के सदस्य का दो माह का मूल वेतन" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।
(ख) स्पष्टीकरण -। में, खण्ड (क) में "पन्द्रह हजार रूपए अथवा सेवा के सदस्य द्वारा सरकार से प्राप्त की गई कुल वार्षिक परिलब्धियों का 1/6वां भाग, जो भी कम हो" शब्द के स्थान पर "सेवा के सदस्य का दो माह का मूल वेतन" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[फाइल सं. 11017/5-क/2011म.प्र.सं.०२०-


(दीप्ति उमाशंकर)
निदेशक (सेवाएं)

टिप्पणी : मुख्य नियमावली अधिसूचना सं.8/91/62-अ.भा.से.-।।। दिनांक 18.12.68 द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र के भाग -II, खण्ड - 3, उप खण्ड (1), में सा. का. नि. सं. 3 दिनांक 4.1.69 के नाम से प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात निम्नलिखित संख्याओं द्वारा संशोधित की गई थी :-

- अधिसूचना सं.9/2/70-अ.भा.से.-।।। दिनांक 23.5.70
सा. का. नि. सं. 878 दिनांक 6.6.70
- अधिसूचना सं.9/32/70-अ.भा.से.-।।। दिनांक 10.3.71
सा. का. नि. सं. 417 दिनांक 23.7.71
- अधिसूचना सं.5/20/72-अ.भा.से.-।।। दिनांक 7.4.73
- अधिसूचना सं.5/23/72-अ.भा.से.-।।। दिनांक 27.7.74
सा. का. नि. सं. 834 दिनांक 10.8.74
- अधिसूचना सं.11017/35/75-अ.भा.से.-।।। दिनांक 29.6.76
सा. का. नि. सं. 1017 दिनांक 17.7.76

6. अधिसूचना सं.11017/49/76-अ.भा.से.-||| दिनांक 8.12.76
सा. का. नि. सं. 1766 दिनांक 25.12.76
7. अधिसूचना सं.11017/64/76-अ.भा.से.-||| दिनांक 12.5.77
सा. का. नि. सं. 678 दिनांक 4.6.77
8. अधिसूचना सं.11017/41/77-अ.भा.से.-||| दिनांक 11.1.78
सा. का. नि. सं. 1717 दिनांक 31.12.77
9. अधिसूचना सं.11017/41/77-अ.भा.से.-||| दिनांक 11.1.78
सा. का. नि. सं. 151 दिनांक 28.1.78
10. अधिसूचना सं.11017/23/77-अ.भा.से.-||| दिनांक 19.4.78
सा. का. नि. सं. 583 दिनांक 6.5.78
11. अधिसूचना सं.11017/2/79-अ.भा.से.-||| दिनांक 24.9.79
सा. का. नि. सं. 1122 दिनांक 8.9.79
12. अधिसूचना सं.11017/8/80-अ.भा.से.-||| दिनांक 13.10.80
सा. का. नि. सं. 1103 दिनांक 25.10.80
13. अधिसूचना सं.11017/56/78-अ.भा.से.-||| दिनांक 16.10.80
सा. का. नि. सं. 1134 दिनांक 1.11.80
14. अधिसूचना सं.11017/85/84-अ.भा.से.-||| दिनांक 15.10.85
सा. का. नि. सं. 1009 दिनांक 2.11.85
15. अधिसूचना सं.11017/39/86-अ.भा.से.-||| दिनांक 1.1.87
सा. का. नि. सं. 34 दिनांक 17.1.87
16. अधिसूचना सं.11017/40/87-अ.भा.से.-||| दिनांक 22.2.87
सा. का. नि. सं. 189
17. अधिसूचना सं.11017/23/88-अ.भा.से.-||| दिनांक 2.8.88
सा. का. नि. सं. 657
18. अधिसूचना सं.11017/27/93-अ.भा.से.-||| दिनांक 16.1.95
सा. का. नि. सं. 52 दिनांक 4.2.95
19. अधिसूचना सं.11017/18/96-अ.भा.से.-||| दिनांक 16.11.98
सा. का. नि. सं. 228 दिनांक 28.11.1998

सेवा में,

प्रबंधक,


भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी, रिंग रोड,

नई दिल्ली

प्रतिलिपि:-

1. सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव
2. भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग
3. गृह मंत्रालय (I) भारतीय पुलिस सेवा अनुभाग (II) यूटीएस अनुभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
4. पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली ।
5. लोक सभा सचिवालय (समिति शाखा), नई दिल्ली ।
6. राज्य सभा सचिवालय (समिति शाखा), नई दिल्ली ।
7. सी एंड ए जी, नई दिल्ली (50 अतिरिक्त प्रतियाँ के साथ)
8. संघ लोक सेवा आयोग, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली ।



(दीप्ति उमाशंकर)
निदेशक (सेवाएं)

आंतरिक विवरण

सचिव के निजी सचिव और संयुक्त सचिव (एटी एंड ए)/ निदेशक (एस) के निजी सचिव
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग
अतिरिक्त प्रतियां 50